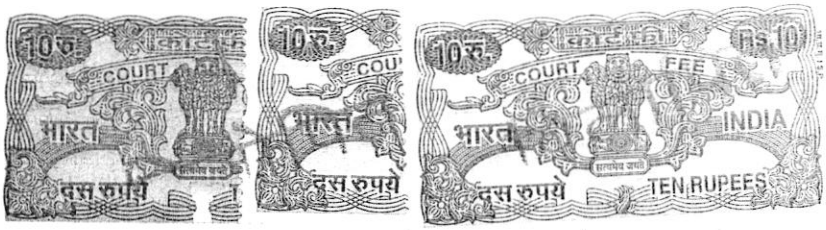

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

III / निगरानी / अशोकनगर / भू.रा./2017/3869

प्र.क्र. निगरानी / 2016–17

1. परमालसिंह पुत्र आधार सिंह
2. लटूरी वेवा आधार सिंह
3. राजकुमार पुत्र गजनसिंह
4. लाखनसिंह पुत्र गजनसिंह
5. कप्तानसिंह पुत्र गजनसिंह
6. विशन बाई पुत्री गजनसिंह
7. भरत पुत्र राजासिंह
8. धनदेवी पत्नि शिशुपालसिंह
9. संजय नावालिग पुत्र शिशुपाल सर. मां. धनदेवी
10. देशराजसिंह पुत्र दिमानसिंह
11. भैयाला पुत्र दिमानसिंह
12. रामाराजा पुत्र दिमानसिंह
13. विजय कुमार पुत्र दिमानसिंह
14. बाईसाब पुत्री दिमानसिंह
15. महेन्द्रसिंह पुत्र राजालाल
16. विक्रम सिंह पुत्र राजालाल
17. जगभान पुत्र राजालाल
18. रामपाल पुत्र राजालाल
19. हरविन्द पुत्र राजालाल
20. कैलाश बाई पुत्री राजालाल
21. सविता बाई पुत्री राजालाल
22. दशरथसिंह पुत्र भगवानसिंह
23. वीरेन्द्र सिंह पुत्र भगवानसिंह
24. राजेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह
25. सिरनाम बाई पुत्री भगवानसिंह
26. गौरा बाई वेवा भगवानसिंह

श्री ओ.एम. गुप्ता एड.

12/10/17

श्री ओ.एम. गुप्ता एड. द्वारा आज दि. 12-10-17 को प्रस्तुत

12-10-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी दिनांक 17-10-17

17.10.17

भरतसिंह

27. विक्रमसिंह पुत्र राजालाल समस्त जाति यादव निवासीजन बहेरिया ढाकोनी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.

—निगरानीकर्ताजन

वनाम

बहादुरसिंह पुत्र फेलीराम जाति यादव निवासी बहेरिया ढाकोनी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.

—प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 के तहत। न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय के प्रकरण वृत सारसखेडी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्र. 5/अ–6–अ/2016–17 आदेश दिनांक 16/08/2017 के आदेश के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा में अपील निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिविधानानुसार न होने के कारण निरस्ती योग्य है।
2. यह कि निगरानीकर्ताजन (आवेदकजन) द्वारा न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय के यहां अधिकारिता रहित पटवारी अभिलेख में एन्ट्री को दुरस्त किये जाने वाबत् आवेदन प्रस्तुत किया था।

हरसिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/अशोकनगर/भू रा./2017/3869

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
13/11/17	यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त सारसखेड़ी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 5 अ–6–अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16–8–2017 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।, 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार वृत्त सारसखेड़ी तहसील ईसागढ़ के प्रकरण कमांक 5 अ–6–अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16–8–2017 के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार ने यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 सहपठित 116 के अंतर्गत पारित किया है जो अंतरिम न होकर अंतिम आदेश है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में व्यवस्था दी गई है कि :– **धारा 44 अपील तथा अपील प्राधिकारी –** (1) उस स्थिति को छोड़कर जहां अन्यथा उपबंधित किया गया है इस संहिता के अधीन या इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित प्रत्येंक मूल आदेश की अपील – (क) उस दशा में जब कि ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने पारित किया है, चाहे आदेश पारित करने वाले अधिकारी में कलेक्टर की शक्तियॉ विनिहत हों या नहीं – उपखंड अधिकारी को होगी। सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अंतर्गत वाद संस्थित किये जाने हेतु क्षेत्राधिकार के सिद्वांत दिये गये हैं , वे सामान्यतः सभी राजस्व प्रकरणों में	

लागू होते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के संबंध में विस्तृत प्रावधान नहीं किये गये हैं। सिविल प्रकिया संहिता , 1908 की अनेक धारायें मार्ग–दर्शक रूप में प्रयोज्य है। विचाराधीन प्रकरण में संहिता की धारा 44 में उपरोक्तानुसार प्रावधान है कि उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी ने आदेश पारित किया है, चाहे आदेश पारित करने वाले अधिकारी में कलेक्टर की शक्तियॉ विनिहत हों या नहीं – उपखंड अधिकारी को होगी। नायव तहसीलदार वृत्त सारसखेड़ी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 5 अ–6–अ/2016–17 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 16–8–2017 के विरूद्व उपखंड अधिकारी को अपील प्रस्तुत न करते हुये सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी श्रवण करना उचित प्रतीत नहीं होता है । जब आवेदकगण को यही अनुतोष नीचे के अन्य अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने की प्रत्याशा है तब कनिष्ठ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर न्याय प्राप्त करना चाहिये, अन्यथा नीचे के न्यायालयों से अनुतोष प्राप्त करने का हक समाप्त हो जावेगा। आवेदकगण चाहें – इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। फलस्वरूप आवेदकगण के हितों को ध्यान में रखते हुये निगरानी गुणदोष पर विचार किये बिना निराकृत की जाती है।

सदस्य